The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY भाग III---खण्ड 4 PART III---Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	165]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 17, 2008/आश्यिन 25, 1930
No.	165]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2008/ASHVINA 25, 1930

भारतीय दंत परिषद

<u>अधिसूचना</u>

" नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2008

सं-डोई-130-2008—दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948. का XVI) के खंण्ड 20 के उपखंण्ड (1) तथा उपखंण्ड (2) की घारा (झ) द्वारा प्रदत शाक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से भारतीय दंत्य परिषद दंत—चिकित्सक अधिनियम 1948 के खंण्ड 6(1) के लिए निम्न विनियम बनाती है :

1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन

- (i) इन विनियमों को ''भारतीय दंत्य परिषद (डीसीआई की सदस्यता का कार्यकाल) विनियम, 2008'' कहा जाएगा।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होगें।

डीसीआई की सदस्यता का कार्यकालः

इस खंण्ड के प्रावधानों के अध्यधीन किसी भी निर्वाचित अथवा नामित सदस्य का कार्यकाल उसके निर्वाचन/नामांकन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अथवा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी विधिवत रूप से निर्वाचित/नामांकित न कर दिया जाए, तक होगा लेकिन उसके पांच वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए, जबकि वह डीसीआई का सदस्य नही रहेगा, से अधिक नही होगा ।

(लेकिन शर्त यह है कि खंण्ड 3 की घारा (ड.) अथवा घारा (च) के अधीन नामित सदस्य उसे नामित करने वाले अधिकारी की इच्छा के दौरान अपने पद पर बना रहेगा)

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) पी.एन. अवस्थी, सचिव

[[]विज्ञापन_]]]/IV/असाधारण/98/2008].

DENTALCOUNCILOFINDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2008

No DE-130-2008: -- In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) and clause(i) of sub-section (2) of Section 20 of the Dentists Act, 1948 (XVI of 1948), the Dental Council of India with the approval of the Central Government, make the following Regulations for Section 6(1) of the Dentists Act, 1948:

1. Short title and commencement:

(i) These Regulations shall be called the "Dental Council of India (Term of Office of Membership of DCI) Regulations, 2008".

(ii) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Term of Office of Membership of DCI:

Subject to the provisions of this section an elected or nominated member shall hold office for a term of five years from the date of his election/nomination or until his successor has been duly elected/nominated but not beyond six months from the expiry of his five-year term when he shall cease to be a member of the DCI.

(Provided that a member nominated under clause (e) or clause (f) of section 3, shall hold office during the pleasure of the authority nominating him)

[ADVT-111/IV/Exty./98/2008]

MAJ. GEN. (Retd.) P. N. AWASTHI, Secy.